

प्रेस- विज्ञप्ति

71वीं अन्तर जनपदीय पुरुष/महिला फुटबाल प्रतियोगिता- 2023 वाराणसी जोन के पुरुष वर्ग में जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र की टीम तथा महिला वर्ग में जनपद आजमगढ़ व भदोही की टीम फाइनल में पहुँची।

➡दिनांक 20.02.2023 को 71वीं अन्तर जनपदीय पुरुष/महिला फुटबाल प्रतियोगिता- 2023 वाराणसी जोन का उद्घाटन शिब्ली नेशनल कालेज में किया गया जिसमें कुल 09 जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया।

पुरुष वर्ग में-

➡ दिनांक- 21.02.2023 को समय प्रातः 10.00 बजे (ग्रुप- A) सेमीफाइनल में जनपद वाराणसी की टीम का मुकाबला जनपद मिर्जापुर की टीम के साथ हुआ जिसमें जनपद मिर्जापुर के खिलाड़ी धीरेन्द्र यादव ने 02 गोल किये तथा वाराणसी टीम के खिलाड़ी हसन कुरैशी ने केवल एक ही गोल किया, जिससे जनपद मिर्जापुर की टीम ने जनपद वाराणसी की टीम को 02-01 से हराकर फाइनल में पहुँच गयी है।

➡दिनांक- 21.02.2023 को समय 14.00 बजे (ग्रुप-B) सेमीफाइनल में जनपद सोनभद्र की टीम का मुकाबला जनपद भदोही की टीम के साथ हुआ, जिसमें जनपद सोनभद्र की टीम के खिलाड़ी सोहेल खाँ ने 01 गोल किया तथा वाराणसी टीम से कोई गोल नहीं हुआ जिससे जनपद सोनभद्र की टीम ने जनपद भदोही की टीम को 01-0 से हराकर फाइनल में पहुँच गयी है।

➡दिनांक- 22.02.2023 को समय 16.00 बजे जनपद मिर्जापुर व जनपद सोनभद्र की पुरुष टीम के साथ फाइनल मुकाबला होगा।

महिला वर्ग में-

➡दिनांक- 21.02.2023 को सेमीफाइनल में जनपद आजमगढ़ की टीम का मुकाबला जनपद मिर्जापुर की टीम के साथ हुआ, जिसमें दोनों टीमों बिना कोई गोल स्कोर के बराबरी पर रहें तथा दोनों टीमों के बीच पेनाल्टी शूटआउट हुआ जिसमें आजमगढ़ की टीम जनपद मिर्जापुर की टीम को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुँच गयी है। आजमगढ़ की टीम से पेनाल्टी शूटआउट में चंदन त्रिपाठी, प्रिया सिंह, अनामिका कुशवाहा व प्राची तिवारी द्वारा 01-01 गोल स्कोर किया गया तथा मिर्जापुर की टीम से केवल शिखा पटेल ने 01 गोल स्कोर किया है।

➡दिनांक- 22.02.2023 को समय सुबह 10.00 बजे जनपद आजमगढ़ व जनपद भदोही की महिला टीम के साथ फाइनल मुकाबला होगा।

थाना- तहबरपुर

अवैध असलहा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 21.02.2023 को 30नि0 सुबेदार यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक ब्यक्ति नैपुरा अण्डर पास से समय करीब 03.00 AM पर पकड लिया गया। पकडे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम अमन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 कालिका विश्वकर्मा निवासी किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष बताया, उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 31/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1-मु0अ0सं0 31/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-अमन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 कालिका विश्वकर्मा निवासी किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. 30नि0 सुबेदार यादव मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

मारपीट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1- पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादी श्री अजय सरोज पुत्र राधेश्याम निवासी दामा थाना मेंहनगर आजमगढ़ की तहरीरी सूचना कि पैसा माँगने की बात को लेकर दिनांक 18.02.2023 को समय करीब 4.30 बजे शाम को गाँव के ही अमलधारी सरोज पुत्र श्यामलाल, चन्द्रधारी पुत्र श्यामलाल, गोलू पुत्र अमलधारी तथा सुदामा पुत्र पलकधारी सरोज द्वारा वादी के घर पर आकर लाठी डण्डे से काफी मारे पीटे जिससे मेरे दादा दलसिंगार के सिर पर काफी गम्भीर चोट आये के कारण मौके पर ही

बेहोश हो गये तथा हमलोगो के सिर, हाथ पर गम्भीर चोटे आये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 56/23 धारा 323/504/506/308 बनाम 1.अमलधारी सरोज पुत्र श्यामलाल 2.चन्द्रधारी पुत्र श्यामलाल 3.गोलू उर्फ दिलीप पुत्र अमलधारी 4. सुदामा पुत्र पलकधारी सरोज साकिनान दामा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

2- **गिरफ्तारी की विवरण** – दिनांक- 21.02.2023 को उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्या मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.चन्द्रधारी पुत्र श्यामलाल सा0 दामा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ 2.गोलू उर्फ दिलीप पुत्र अमलधारी सा0 दामा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ को ग्राम दामा से समय 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा अभियुक्त के पास से बरामद किये।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0 अ0 सं0- 56/23 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना मेंहनगर, आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.चन्द्रधारी पुत्र श्यामलाल सा0 दामा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ
2.गोलू उर्फ दिलीप पुत्र अमलधारी सा0 दामा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

बरामदगी – एक अदद लाठी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 कन्हैयालाल मौर्य, का0 रोहित यादव थाना मेंहनगर, आजमगढ।

थाना- तरवां

जन्म दिन पर अवैध तमंचा से हर्ष फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक-21.02.2023 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह को सूचना मिली कि खरिहानी रोड पर चौकी गंजोर नगर पुलिया पर एक अपराधी किस्म का मनबढ अपराधी मौजूद है, उसके पास नाजायज असलहा भी हो सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम मे डांस करते समय हाथ मे तमंचा लेकर इसके द्वारा हवाई फायरिंग भी की गयी थी जिसकी चर्चा आस-पास के गांव मे है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल के द्वारा नहर पटरी के रास्ते महोली के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया, अपना नाम पंकज राजभर पुत्र विजय राजभर निवासी ग्राम महोली थाना तरवा जिला आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा.315 बोर, .315 बोर का एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 A. Act का दण्डनीय अपराध है अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए गिरफ्तारी समय करीब 07.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 38/2023 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

1-पंकज राजभर पुत्र विजय राजभर निवासी ग्राम महोली थाना तरवा जिला आजमगढ।

बरामदगी- एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 जावेद अख्तर, हे0का0 रविन्द्र यादव, का0 रोहित दुबे थाना तरवां आजमगढ

थाना- महाराजगंज

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ धोखा धडी करके कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी तथा जान से मार की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 93/21 धारा 376, 328, 506 IPC बनाम जगतनरायन यादव पुत्र पशुपतिनाथ यादव साकिन मदरहवा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी की विवरण- थानाध्यक्ष श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह द्वारा दिनांक 21.02.2023 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जगतनरायन यादव पुत्र पशुपतिनाथ यादव साकिन मदरहवा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ को स्थान परशुरामपुर बाजार से समय करीब 11.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 93/21 धारा 376, 328, 506 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-जगतनरायन यादव पुत्र पशुपतिनाथ यादव साकिन मदरहवा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह हे0का0 राजेश कुमार, म0आ0 स्वाती दीक्षित थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ

थाना जहानागंज

हत्या का प्रयास में वाँछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादी श्री रामजनम यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव साकिन मीरपुर भागवत थाना जहानागंज आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर बताये कि दिनांक 25/12/2022 को शाम के करिब 03 बजे चकरोड व पुरानी रंजीश को लेकर अभियुक्त लौहर यादव के साजिस रचने पर अभियुक्त चन्द्रकेश यादव उर्फ सोनू व श्रीकेश यादव व कृष्णा यादव द्वारा वादी मुकदमा के चचरे भाई दुर्गेश यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव को जान मारने की नियत से गाली गुप्ता देते हुये लाठी डण्डे से बुरी तरह सिर में व शरीर पर मार पीट कर अधमरा कर देने व शोर गुल की आवाज पर वादी मुकदमा व उसके परिजन के पहुचने पर अभियुक्त चन्द्रकेश उर्फ सोनू यादव द्वारा असलहा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया जिनके लिखित तहरीर पर मु0अ0स0 518/2022 धारा 307/323/504/506/120बी भादवि बनाम 1.लौहर यादव पुत्र मातबर यादव 2. चन्द्रकेश यादव उर्फ सोनू पुत्र लौहर 3. श्रीकेश यादव पुत्र लौहर यादव निवासीगण मीरपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 4. कृष्णा यादव पुत्र स्व0 जयप्रकाश यादव निवासी सेमरौल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय पर दिनांक 25.12.2022 को पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा अमल में लायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण: दिनांक- 21.02.2023 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त श्रीकेश यादव पुत्र लौहर यादव निवासी मीरपुर भागवत थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को सुहवल बाजार से समय करीब 10.40 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0स0 518/2022 धारा 307/323/504/506/325/120बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

अपराधिक इतिहास....मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- श्रीकेश यादव पुत्र लौहर यादव निवासी मीरपुर भागवत थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1-उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना अतरौलिया

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार।

1. **पूर्व का विवरण-** दिनांक 14.08.22 को 17 वर्ष की लड़की को आरोपी ने बहला फुसला कर अगवा कर ले गया था। पीडिता के पिता के दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/22 धारा 363 IPC व 3(2)Vक SC/ST एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था और विवेचना हेतु क्षेत्राधिकारी बूढनपुर को प्राप्त हुयी। बाद विवेचना और लड़की के बरामदगी के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

2. **गिरफ्तारी का विवरण:-** आज दिनांक 21.02.23 को उ0नि0 शिव कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अभियुक्त सोनू यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी हैदरपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को रोडवेज बस स्टेशन के पास से समय 7.30 AM बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकारी महेन्द्र कुमार शुक्ला को सूचित किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 288/22 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST ACT थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सोनू यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी हैदरपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 शिव कुमार पाण्डेय 2. का0 धर्मेन्द्र गुप्ता मय हमराह थाना अतरौलिया आजमगढ़।

थाना-मेंहनाजपुर

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना:- वादी थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक- 11/12.01.2023 की रात्रि 12.00 बजे एक बाल अपचारी ने वादी की नाबालिक पुत्री को बहला-फूसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 009/23 धारा 363 भादवि बनाम 01 बाल अपचारी पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व ¼ पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

दिनांक 21.02.2023 को व0उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को उसके घर से समय करीब 11.30 बजे प्रातः पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 09/2023 धारा 376/363 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त :- 01 बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

01. व0उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराह थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना-गम्भीरपुर

आज दिनांक- 21.02.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 42/16 धारा 60

एक्साइज एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सिकन्दर पुत्र फेकू निवासी परशुरामपुर , थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आठ

सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।